



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना-800022

ई-मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल—9431283596

प्रेस-विज्ञप्ति

राज्यपाल ने बी.एड. में नामांकन/कॉन्सिलिंग के लिए आगामी 2 मई, 2019 तक प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा देने के लिए बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को निदेशित किया

पटना, 28 अप्रैल 2019

महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने आज राजभवन में बाबासाहेब भीमराव अम्बेकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की समीक्षा के दौरान कुलपति को निदेश दिया है कि वे बी.एड. पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए राज्यस्तरीय —'कम्बाइंड इंटरनेन्स टेस्ट —CET-B.Ed.-2019' उत्तीर्ण छात्रों के सभी अभ्यावेदनों के आलोक में आगामी 2 मई, 2019 तक उन्हें औपबंधिक/मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः उपलब्ध करा दें। साथ ही प्रमाण-पत्र के लिए दाखिल अन्य अभ्यावेदनों के विरुद्ध भी संबंधित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र दिनांक 08 मई, 2019 तक अनिवार्यतः निर्गत कर देने के लिए विश्वविद्यालय-प्रशासन को हिदायत दी गई है।

साथ ही, राज्यपाल श्री टंडन ने बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों को निदेशित किया है कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों के लिए अब ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करने की ही प्रक्रिया मई महीने से प्रारंभ कर दी जाये। राज्यपाल ने कहा है कि प्रमाण-पत्र निर्गमन का कार्य विश्वविद्यालय पारदर्शितापूर्वक क्रमवार सुनिश्चित करें और इसके लिए एक वाजिब समयावधि निर्धारित कर लें।

राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है कि वे प्राथमिकतापूर्वक पहले बी.एड. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध करा दें, ताकि उनके नामांकन या काऊन्सिलिंग में कोई कठिनाई नहीं हो।

राज्यपाल ने कहा है कि विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों के विरुद्ध प्रमाण-पत्र निर्गमन की कार्रवाई ससमय की जानी चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

.....